# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 220/2007/पाली.
2. अपील संख्या – 221/2007/पाली.
3. अपील संख्या – 222/2007/पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, पाली. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री महेन्द्र दवे, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 13/01/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 22, 23 व 24/आरएसटी/पाली/2005–06 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 22.09.2006 के विरूद्ध राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, प्रवेश कर अधिनियम के तहत आरोपित कर व ब्याज को अपास्त करते हुए धारा 15 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 5000/– को घटाकर रूपये 1000/– किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

| अपील संख्या | कर निर्धारण आदेश दिनांक | कर निर्धारण वर्ष | आरोपित | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | कर | ब्याज | शास्ति |
| 220/2007 | 30.11.2005 | 2004–05 | 1,40,240 | 28,954 | 5000 |
| 221/2007 | 29.11.2005 | 2005–06 | 6,66,605 | 2,23,991 | 5000 |
| 222/2007 | 29.11.2005 | 2006–07 | 7,61,514 | 3,79,759 | 5000 |

2. तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी जो कि रोड़ बनाने का ठेका प्राप्त करता है, उसमें प्रयुक्त होने वाले बिटुमिन (डामर) को राज्य के बाहर से आयात किया गया है, उस पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर देय होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार बिटुमिन का उपयोग सड़क बनाने के कार्य में आने से वह माल संविदा कार्य में हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप एवं राज्य में कर अदा कर देने से उन पर प्रवेश कर देय नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क को अस्वीकार कर तीनों ही वर्षों में राज्य के बाहर से आयातित माल बिटुमिन पर प्रवेश कर एवं ब्याज आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अपीलें स्वीकार की गयी हैं।

4. इसके साथ ही तीनों वर्षों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत विवरण पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत करने पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 15 एवं 35 के तहत रूपये 5,000/— की शास्ति आरोपित की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा कम करते हुए रूपये 1000/— (प्रत्येक वर्ष के लिये) की गई, जिसे भी इन अपीलों में चुनौती दी गयी है।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि के अनुकूल नहीं है क्योंकि बिटुमिन के राज्य के बाहर से आयात किये जाने पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में करदेयता स्पष्ट दी हुई है परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस आधार पर करदेयता से मुक्ति बताई गई है कि प्रवेश कर अधिनियम की करदेयता की अधिसचूना के साथ ही प्रवेश कर से उन मामलों में मुक्ति प्रदान की गई है जिनमें आयातित माल पर राज्य में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत कर चुका दिया गया हो जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल पर कोई कर नहीं चुकाया गया है बल्कि ठेकेदार व्यवसायी द्वारा संविदा कार्य के लिये अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना अनुसार करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया गया है एवं कर मुक्ति शुल्क कर की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होने से प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी प्रवेश कर से मुक्ति की अधिसूचना में लाभ लेने के लिये अधिकृत नहीं है अतः प्रवेश कर का आरोपण विधिसम्मत होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

लगातार.....3

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र ETLA-3 एवं ETLA-5 समय पर प्रस्तुत नहीं करने से प्रवेश कर अधिनियम की धारा 35 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा घटाकर 5000/— के स्थान पर 1000/— किया जाना भी अनुचित होने से इसे पुनः 5000/— पुनर्स्थापित करने का अनुरोध किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत व्यवसायी है एवं व्यवहारी द्वारा सरकारी विभागों से सड़क निर्माण के कार्यों का ठेका प्राप्त किया गया है एवं सड़क का निर्माण किया गया है। व्यवहारी द्वारा सड़क निर्माण हेतु प्राप्त संविदाओं में उपयोग में आने वाले माल बिटुमिन की खरीद राज्य के बाहर से की गयी है एवं इस माल का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है जिससे माल का हस्तान्तरण अवार्डर को होना प्रमाणित है जो कि माल के विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित होता है क्योंकि संविदा कार्यों में ट्रांसफर ऑफ गुड्स को बिक्री की परिभाषा में सम्मिलित किया हुआ है।

8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 15 के तहत संविदा कार्यों में माल के हस्तान्तरण पर देय कर के एवज में अधिनियम की धारा 15 के तहत अधिसूचना क्रमांक एफ.4(12)एफडी/टैक्स डिवी./2001—25 दिनांक 29.03.2001 से करमुक्ति शुल्क जमा कराने पर करमुक्त किया गया है। करदाता द्वारा इस अधिसचूना के तहत कर के एवज में ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन स्कीम के तहत कार्य के भुगतान से पूर्व निर्धारित दर से करमुक्ति शुल्क टी.डी. एस. के जरिये जमा करा दिया गया है जो कि नियमित कर के एवज में किया गया भुगतान है।

9. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि करदाता द्वारा बिटुमिन का आयात राज्य के बाहर से किये जाने पर प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स डिवी./2002—189 दिनांक 22.03.2002 से 4 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है और इसी अधिसूचना के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना क्रमांक 2002—190 दिनांक 22.03.2002 से एवं उसके पश्चात् इसी तरह दिनांक 19.05.2003, 12.07.2004 एवं 24.03.2005 की अधिसूचनाओं में अंकित वस्तुओं जिसमें बिटुमिन सम्मिलित है, पर देय प्रवेश कर को इस आधार पर करमुक्त किया गया है कि यदि अधिनियम के तहत देय कर जमा करा दिया गया है तो देय प्रवेश कर से मुक्ति प्राप्त होगी।

लगातार.....4

10. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि करदाता द्वारा वर्ष 2002—03, 2003—04 एवं 2004—05 में सड़क निर्माण की समस्त संविदाओं को पूर्ण करने के लिये अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(12) एफडी/टैक्स डिवी./2001—25 दिनांक 19.03.2001 के तहत विकल्प लेते हुए संविदाओं में प्रयुक्त/ट्रांसफर किये हुए माल की देयता को निर्धारित करमुक्ति शुल्क जमा कराकर करमुक्ति प्राप्त की गई है अतः करदाता पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी करमुक्ति अधिसूचना के अनुसार प्रवेश कर से मुक्ति प्राप्त होने से आरोपित किया गया प्रवेश कर विधि के विरूद्ध है।

11. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस प्रकरण में प्रत्यक्ष लागू होने वाले आदेश जो कि अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 40 के तहत किया गया है, का हवाला देते हुए कथन किया कि इस आदेश दिनांक 28.05.2003 जो कि मैसर्स भवन पथ (बोहरा एण्ड कम्पनी) बाड़मेर के इसी बिन्दु एवं इसी वस्तु पर यह आदेश किया गया है कि ठेकेदार द्वारा यदि करमुक्ति शुल्क प्राप्त कर यदि मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है तो उस स्थिति में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी करमुक्ति की छूट प्राप्त होगी।

12. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष कथन किये जाने एवं अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर के आदेश एवं उस आदेश को पुनः **सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2005) 12 टैक्स अपडेट 23** में माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 22.06.2005 जिसमें उक्त विनिश्चय जो धारा 40 के तहत अतिरिक्त आयुक्त द्वारा किया गया था उसे विधिसम्मत बताया गया था, प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अपास्त किया गया है जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप का आधार नहीं है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

13. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि करदाता द्वारा प्रवेश कर से सम्बन्धित सभी प्रपत्र जो कि विवरण पत्र न होकर केवल विक्रय की सूचना के रूप में दिये गये प्रपत्र हैं, उन्हें कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था जो कि विलम्ब से थे, परन्तु कोई करदेयता नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकार के तहत शास्ति राशि को कम किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक रूप से अनुचित होने से इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....5

14. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

15. उक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु एवं तथ्य तथा विधिक स्थिति एवं इस सम्बन्ध में दिये गये न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया, जिसे यहां पुनः अंकित किया जाना उचित होगा। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2002—189 दिनांक 22.03.2002 के तहत बिटुमिन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की हुई थी। इसके साथ ही अधिसूचना संख्या 2002—190 दिनांक 22.03.2002 के अन्तर्गत बिटुमिन पर देय प्रवेश कर राज्य में विक्रय कर अधिनियम के तहत देय विक्रय कर का भुगतान करने की शर्त पर मुक्ति भी प्रदान की गई थी जो बाद में भी इसी क्रम में जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2003, 12.07.2004 एवं 24.03.2005 में भी निरन्तर रखा गया था।

16. प्रकरण के करदाता के द्वारा बिटुमिन का राज्य के बाहर से आयात किया हुआ है, जिस पर कोई विवाद नहीं है परन्तु करदाता द्वारा प्रवेश कर की देयता को अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 एवं बाद में उक्तानुसार जारी अधिसूचनाओं से शर्तों के अन्तर्गत मुक्ति भी दी गयी है। यह कथन किया गया कि उनके द्वारा इस अधिसूचना के अनुसार कर का भुगतान किया जाना माना जाना चाहिये. क्योंकि अधिनियम की धारा 15 के तहत कर के एवज में करमुक्ति शुल्क जमा कराने पर कर से मुक्ति प्राप्त की हुई है अर्थात् करदाता द्वारा कर का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में कर दिया गया है अतः प्रवेश कर की देयता से उक्त अधिसूचनाओं अनुसार कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के तहत आगे के वर्षों में भी निरन्तर संशोधन होने पर साथ ही साथ धारा 9 के तहत अधिसूचित वस्तुओं पर प्रवेश कर से मुक्ति इसी शर्त के साथ प्रदान की गई है कि स्थानीय देय विक्रय कर का भुगतान कर दिया गया है।

17. इस प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या करदाता अधिनियम की धारा 9 के तहत शर्त के अधीन दी गई करमुक्ति का लाभ लेने के लिये अधिकृत है अथवा नहीं। इसी बिन्दु पर अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष धारा 40 में विनिश्चय हेतु प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र कि क्या कोई ठेकेदार अपने संविदा कार्यों में माल के हस्तान्तरण पर देय कर को अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना में कर मुक्ति शुल्क जमा करा देता है तो उसे उक्त धारा 9 के तहत जारी अधिसूचना का लाभ प्राप्त होगा अथवा नहीं। अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रार्थी मैसर्स भवन पथ निर्माण एण्ड कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 40 के तहत विनिश्चय करने की प्रार्थना पर यह विनिश्चय किया गया कि :—

लगातार.....6

"I have heard both the parties and perused the record of the case. In the present case, the applicant has paid prescribed exemption fee in lieu of tax under Rule 12 of RST Rules 1995. So there is no further need for him to pay tax separately on the taxable "Bitumen" being used in the execution of the work contract. The exemption fee is equivalent to the required to be paid by him under the Act. So it may be concluded that as soon as the exemption fee is deposited, no further compliance of any condition is needed in the matter. Thus a situation of deemed compliance of all the conditions arises and it may be assumed that the applicant has complied with all the conditions of the notification applicable to him. So I am of the view that for a works contractor, who opts and pays exemption fee under Rule 12 then regarding Bitumen, he is entitled to avail exemption of entry tax on Bitumen under notification No. F.4(30)FD/Tax-Div./2002-190 dated 22 March, 2002."

18. इस तरह उक्त विनिश्चय से विभाग द्वारा यह निर्णीत कर दिया गया कि प्रवेश कर की देयता से मुक्ति सम्बन्धी जारी अधिसूचना के तहत वे व्यवहारी भी सम्मिलित होंगे, जिनके द्वारा राज्य के भीतर देय कर के एवज में मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

19. उक्त बिन्दु पर विनिश्चय के समान प्रकरण में ही माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2005) 12 टैक्स अपडेट 221** में यह निर्णय दिया जा चुका है वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर द्वारा अधिनियम, 1994 की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.03.2001 के तहत यदि करमुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है तो वे माल जिसमें बिटुमिन एवं सीमेंट सम्मिलित हैं, जिनका संविदा कार्यों में माल हस्तान्तरित हो जाते हैं, उनपर प्रवेश कर देय नहीं होगा एवं वे प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी कर मुक्ति की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस तरह विधिक एवं न्यायिक निर्णयों से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि करमुक्ति शुल्क का भुगतान करने पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9 के तहत करमुक्ति हेतु दी गई शर्त की पालना हो जाती है एवं उन्हें करमुक्ति प्राप्त होगी। चूंकि इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि करदाता द्वारा करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जा चुका था, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर एवं विभाग के विनिश्चय एवं माननीय कर बोर्ड के आदेशानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित किये गये प्रवेश कर को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है अतः अपील अस्वीकार की जाती है।।

लगातार.....7

20. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में विवरण पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति राशियों में जो कमी की गई है वह अपीलीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों के तहत किया जाना पाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

21. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 22.09.2006 की पुष्टि की जाती है।

22. निर्णय सुनाया गया।

13/1/2017
( के. एल. जैन )
सदस्य

13.1.17
( मदन लाल )
सदस्य